उनवान—भारमलराम वगैरा बनाम तुलछाराम वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 50/2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी —श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन— 50/2025 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. भारमलराम पुत्र वरींगाराम 2. जमना पत्नी वरींगाराम 3. श्रीराम पुत्र वरींगाराम 4. सदराम पुत्र हरलाल जातियान विश्नोई निवासीगण बामरला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. तुलछाराम पुत्र भगवानाराम जाति विश्नोई निवासी बामरला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 2. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बामरला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 3. शाखा प्रबंधक, द सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक बाड़मेर शाखा धोरीमन्ना जिला बाड़मेर। 4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :— श्री बाबूलाल विश्नोई
विप्रार्थी संख्या 01 के वकील— श्री जुंजाराम चौधरी

निर्णय

दिनांकः— 17.10.2025

प्रार्थीगण भारमलराम पुत्र वरींगाराम जाति विश्नोई निवासी बामरला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की जोत में जाने हेतु अन्य खातेदार विप्रार्थी संख्या 01 की काश्त की जोत में से होकर मार्ग खुलवाने की स्वीकृति चाहते है। इस नवीन मार्ग के अलावा हमारी जोत पर पहुंचने के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है तथा शुरू से ही हम उक्त मार्ग से आते जाते रहे हैं, यह रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता घोषित करवाने हेतु अर्थात् मार्ग खुलवाने हेतु धारा 251 क उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। हम प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 184 के लिए प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। उक्त मार्ग मौके पर पारस्परिक [illegible] जिस जगह मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

...आ चल रहा है एवं प्रार्थीगण के रास्ते के रूप में काम आ रहा है। जिसको अभी विप्रार्थी संख्या 01 ने खसरा संख्या 1118/185 में कांटे डाल दिए है तथा प्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग उपभोग में दखल पैदा करने लग गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	प्रार्थीगण	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	रास्ते की चौड़ाई	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारमलराम पुत्र वरींगाराम वगैरा	तुलछाराम पुत्र भगवानाराम	1118/185	7–8670	20 फीट	बामड़ला	बारानी दोयम

हमारे खेत खसरा नम्बर 184 के लिए आगे कटाणी मार्ग तक उक्त रास्ता ही निकटतम पड़ता है तथा इस मार्ग के अलावा अन्य कोई आम रास्ता, कटाणी मार्ग एवं सड़क नजदीक नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच प्रार्थीगण को वर्णित अपनी कृषि भूमि के लिए संलग्न नक्शे में लाल लाईन से दर्शाये 20 फीट चौड़ाई मार्ग को दिलाये जाने की कृपा करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर/2025/1059 दिनांक 11.06.2025 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/ व राजकाज रेफ. नं. 16451843 दिनांक 09.07.20255 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री जुंजाराम चौधरी ने वकालतलनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है।

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन उ... ...लय पत्रांक भू.अ./2025/ व राजकाज रेफ. नं. 16451843 दिनांक 09.07.20255 के ... ...रिपोर्ट दिनांक 07.07.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

अनुसार पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई—

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	तुलसाराम पुत्र भगवानाराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा बामड़ला	1118/185	7—8670	20 फीट	0—0566 हैक्टेयर	बामड़ला	17563/—	बारानी दोयम

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को बरंग लाल दर्शाया गया है। रास्ते में एक रहवासी मकान व टांका आने के कारण थोड़ा घुमाया गया। जिससे अप्रार्थी के केवल एक खसरा छोटा सा जो कि खसरा संख्या 1118/185 का भाग रहेगा, जिसमें उदाराम/सुरताराम विश्नोई की ढाणी है जो अवैध निर्माण है। उक्त घुमाव से रास्ता सुलभ होगा व नजदीक भी होगा। इसके अलावा कोई कीमती पेड़ नहीं है। ग्राम बामड़ला के खसरा संख्या 1118/185 की डीएलसी रेट 50,180/— प्रति बीघा है।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है—

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	तुलसाराम पुत्र भगवानाराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा बामड़ला	1118/185	7–8670	20 फीट	0–0566 हैक्टेयर	बामड़ला	17563/–	बारानी दोयम

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के पत्रांकः भू.अ./2025/ व राजकाज रेफ. नं. 16451843 दिनांक 09.07.2025 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 07.07.2025 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 09.07.2025 मय फर्द दिनांक 07.07.2025 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में ... आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट ... भूमि के रकबे की गणना

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

5

कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 17.10.2025 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

(5)

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 /

दिनांकः—09.07.2025

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विषयः:— राजस्व आवेदन सं 50 / 2025 अनवान भारमलराम वगैरह बनाम तुलछाराम वगैरह अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 50 / 2025 अनवान भारमलराम वगैरह बनाम तुलछाराम वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम बामडला के खसरा 184 में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1118 / 185 में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू. अ. निरीक्षक बामडला द्वारा दिनांक 23.06.2025 को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(पन्नाराम चौधरी)
तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

Signature valid
Digitally signed by Panna Ram
Designation: Tehsildar
Date: 2025.07.09 16:58:42 IST
Reason: Approved

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:29 IST
Reason: SelfAttested

RajKaj Ref No.: 16451843

प्रस्तुत आवेदन सं. 50/2025 अनवान भारमल वगैरह बनाम तुलसाराम अन्तर्गत राज. काश्तकारी अधिनियम में।

प्रपत्र की

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

मैं ....धनराज.... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त ....बामड़ला...., कार्यालय, तहसीलदार ....सेड़वा.... के आदेश कमांक ....555.... दिनांक ....23/6/25.... की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक ....05/7/25.... समय ....05.00....बजे आराजी खसरा नम्बर–....185.... वाके ग्राम ....बामड़ला.... पटवार मंडल ....बामड़ला.... पर श्री ....उदाराम.... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक ....01/04/07/25.... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	हनुमानराम /	तुलछाराम	29	विश्नोई	अप्रार्थी
02.	तुलछाराम /	भगवानाराम	55	विश्नोई	— " —
0.	ओमप्रकाश /	भारमलराम	34	विश्नोई	प्रार्थी

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि	मौजा	समाविष्ट भूमि की कीमत	विशेष
01.	तुलसाराम पुत्र भगवानाराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन:- 3BD ग्राम बामड़ला	1118	[illegible]	[illegible]	0.0566 हे.	बामड़ला	17,563/-	बा. कायम

संलग्न नक्शे मे प्रस्तावित रस्ते को नारंगी लाल दर्शाया गया है रास्ते मे एक रहवासी मकान व टांका आने के कारण थोड़ा घुमाया गया। जिससे अप्रार्थी के केवल एक खसरा धोरा रना जो कि ख.न. 1118/185 का भाग रहेगा। जिसमे उदाराम / सुरताराम विश्नोई कि ढाणी है जो अवैध निर्माण है उक्त घुमाव से रास्ता सुलभ होगा व नजदिक भी होगा। इसके अलावा कोई किमती पेड़ नहि है ग्राम बामड़ला के खसरा न. 1118/185 कि DLC रेट 50,180/- रूपये प्रति बिघा है। संलग्न नक्शा मौका फर्द।

पटवारी बामड़ला

भू.अ.नि. बामड़ला

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	ओमप्रकाश	भारमलराम	विश्नोई	ओमप्रकाश	प्रार्थी
02	भारमलराम	वरिंगाराम	विश्नोई	भारमलराम	प्रार्थी

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
	Nil				

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
01	ओमप्रकाश	भारमलराम	34	विश्नोई	बामड़ला (9982649401) ओमप्रकाश
02	भारमलराम	वरिंगाराम	55	विश्नोई	बामड़ला (9799086883) भारमलराम

इस प्रकार आज दिनांक .... को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:29 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर 3/3/25
पटवारी बामड़ला
पं. मं.

हस्ताक्षर 3/3/25
भू अ. निरीक्षक बामड़ला
वृत..................

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

ज़िला :बाड़मेर

तहसील : सेड़वा

दिनांक : 07/07/2025 04:17:10 PM

तहसील(?)का :बामड़ला

ग्राम : बामङला

भू. अ. नि. क्षेत्र :बामड़ला

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

राजस्व आवेदन सं. 50/2025
अनवान - भारमलराम वगैरह बनाम
तुलछाराम वगैरह मे RTA
Act. धारा 251 A मे
प्रस्तावित रास्ता ।

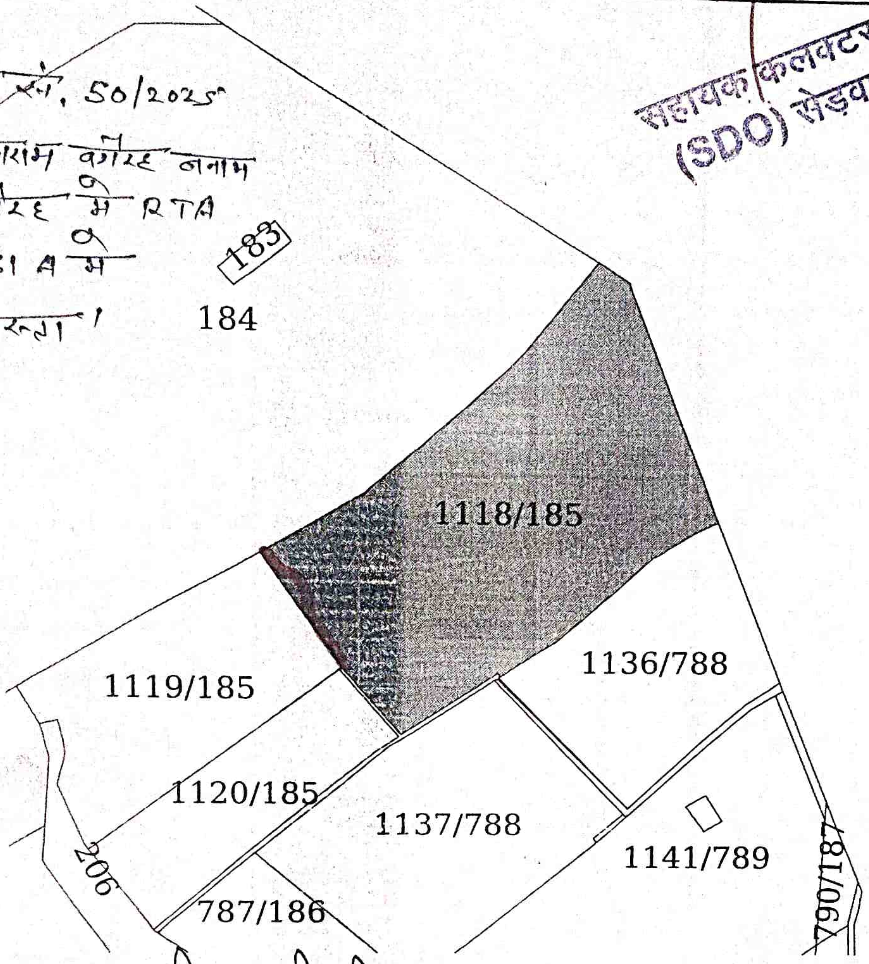

Scale 1:1000

खसरा सख्या :1118/185 कृषेत्रफल : 7.8670 Hectare खाता सख्या : 222पुराना खाता सख्या :79

भूमि किस्मि[कृषेत्रफल लगान]: बा.दोयम [7.8670, 3.38]

1.) तुलसाराम पुत्र भगवानाराम हस्सिा- पूरण जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार (पूरण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा बामडला

भारमलराम

ओमप्रकाश

सक्षम अधकिारी के हस्ताक्षर एंव सील 7 जुलाई 2025

पटवारी बामड़ला

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रारथी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग कसिी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं कयिा जा सकता है।
३. प्रवष्टियों में संशोधन/सत्यापति प्रतलिपि हेतु सम्बंधति जलिा/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:02:29 IST
Reason: SelfAttested

7/7/25
प. बामड़ला